

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *131
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के रिक्त पद

***131 श्री विवेक के. तन्खा :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) आज की स्थिति के अनुसार देशभर में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की संस्वीकृत और वास्तविक संख्या कितनी है ;
- (ख) एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े रिक्त पदों की संख्या कितनी है ;
- (ग) इन रिक्त पदों के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई अनुशंसाओं की स्थिति क्या है ; और
- (घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए संभावित समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"न्यायाधीशों के रिक्त पद" के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *131, जिसका उत्तर तारीख 30.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (घ) : 23.07.2026 तक, 1122 की स्वीकृत संख्या में से 781 न्यायाधीश विभिन्न उच्च न्यायालयों में काम कर रहे हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है और 28 अक्टूबर, 1998 (तीसरे न्यायाधीश के मामले में) की सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश का मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करना अपेक्षित होता है। हालांकि, इस समय-सीमा का पालन शायद ही कभी किया जाता है। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकार के विचार प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना चाहिए जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध हो सकती हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशों को सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजा जाता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा सिफारिश किए गए हैं।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है। इसलिए, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों का है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली कतिपय समय-सीमाएं निर्धारित की हैं। 20.07.2026 तक, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या और कार्यरत संख्या क्रमशः 30,868 और 23,558 है।
